न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–112/2016/भीलवाड़ा (2016/00101)

1. हरलाल पुत्र सुवा,
2. हरचंद पुत्र भूरा,
3. गोपाल पुत्र गंगाराम,
4. कैलाश पुत्र मोहन,

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम खेड़ी जीवराजपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. नन्दलाल,
2. सोजीराम,
3. सोहनी पुत्री
4. मकनी पुत्री
5. लक्ष्मी पुत्री छीतर,

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डोडी जीवराजपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 30.5.2016 अंतर्गत अपील संख्या 2/2016.

उपस्थितः–

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पोडेंट्स ।

निर्णय

दिनांक :– 8.2.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम खेडी तहसील शाहपुरा के खसरा संख्या 3, 10 से 14, 120, 350/415 कुल किता 8 कुल रकबा 2.94 है0 एवं चाह नंबर 8 रकबा 0.01 है0, ख्सरा नंबर 16 रकबा 0.01 है0 कालू पुत्र बलदेव मीणा के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसे उसने प्रार्थीगण को प्रदान कर दी है जिसकी मृत्यु होने पर रोडी बेवा छीतर मीणा के नाम से एक अपंजीकृत एवं बिना साक्ष्य की वसीयत तहसीलदार, शाहपुरा के समक्ष विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत की गई एवं इंतकाल खोलने का निवेदन किया । तहसीलदार, शाहपुरा द्वारा आवश्यक जांच कर अपने आदेश दिनांक 19.9.1998 द्वारा नामांतकरण संख्या 12 को दोनों पक्षों की मौजूदगी में वाद विचाराधीन होने एवं वसीयत अपंजीकृत होने से निरस्त कर दिया । इस निर्णय के बाद रोडी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 215/1998 उनवान रोडी बनाम हरलाल वगैरह सन् 1999 में वसीयत झूंठी होने से खारिज हो गया तथा रोडी द्वारा धारा 145 के तहत भी कार्यवाही की गई जो मुकदमा संख्या 110/1998 होकर दिनांक 17.5.2011 को प्रार्थीगण के पक्ष में खारिज किया गया । इसी प्रकार एक और राजस्व वाद बजरंग मीणा ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया जो भी निर्णय दिनांक 17. 3.2015 को प्रार्थी के पक्ष में खारिज हो गया । इसी दौरान विपक्षीगण द्वारा दिनांक 17.7.2015 को पुनः तहसीलदार, शाहपुरा के समक्ष उसी वसीयत के आधार पर नामांतकरण पारित करने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार, शाहपुरा द्वारा सार्वजनिक उजरदारी तलब की गई, जिस पर प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपनी और से उजरदारी पेश किये जाने पर तहसीदलार ने साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर अपने आदेश दिनांक 27.11.2015 से पूर्व में निर्णय पारित होने से आवेदन पुनः खारिज कर दिया । तहसीलदार के आदेश आदेश दिनांक 19. 9.1998 नामांतकरण संख्या 12 के विरूद्ध विपीक्षीगण ने प्रथम अपील प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की । अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने मियाद के बिन्दु को तय किये बिना आदेश दिनांक 30.5.2016 से रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, शाहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.9.1998 नामांतकरण संख्या 12 को प्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा आपत्ति पेश करने के पश्चात् पारित किया गया तथा तहसीलदार द्वारा ही दिनाक 27.11.2015 को प्रार्थीगण की तरफ से उजरदारी पेश करने पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया

है । इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, परन्तु इसके बावजूद अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 ने अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया है । प्रकरण में प्रार्थीगण के मूल्यवान हक व अधिकार विवादित आराजियात में निहित है इस कारण प्रार्थीगण को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे ।

4- धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने लिखित जवाब एवं बहस में कथन किया कि अपीलांट्स का विवादित आराजियात से कोई लेना–देना नहीं है और ना ही अपीलांट्स प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपरोक्त प्रकरण में कोई उजरदारी या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये है । अपीलांट्स द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजियात में हक व अधिकार होना साबित नहीं किये जाने से अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है । अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अपास्त कर अपील इसी स्तर पर अपास्त की जावे ।

1- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स को पक्षकार नियुक्त नहीं किया था जबकि अपीलांट्स प्रकरण में आवयक पक्षकार है । इसी कारण अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 30.5.2016 अंतर्गत अपील संख्या 2/2016 में निर्णय पारित करने के बाद तहसीलदार, शाहपुरा द्वारा पालना में प्रकरण संख्या 256/16 दिनांक 11.7.2016 को दर्ज किया गया जिसके नोटिस आने पर दिनांक 4.8.2016 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई, एवं तत्पश्चात् अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 ने निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

2- विद्वान वकील रेस्पो0 ने धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र के काउण्टर में लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स ने मियाद बाहर अपील पेश की है । अपीलांट्स अधी0न्याया0 के निर्णय से प्रभावित पक्षकार नहीं है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे असत्य एवं तथ्यहीन है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 अपास्त कर अपील खारिज की जावे ।

3- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ अपीलांट्स द्वारा विवादित आराजियात के संबंध में प्रस्तुत नियमित वादपत्र एवं न्यायालय की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर पत्रावली पर लिये जाने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट्स ने यह भी कथन किया कि उक्त वाद न्यायालय हाजा में अपील

पेश करने के बाद दर्ज होने से बरवक्त अपील प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे । उक्त दस्तावेजात मूल प्रमाणित दस्तावेज है जो साक्ष्य में ग्राह्य है । अतः उक्त दस्तावेजात को पत्रावली पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

4- प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तोवजात न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने के बाद कथित वाद अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि पश्चात्वर्ती कार्यवाही के दस्तावेजात होने से प्रस्तुत अपील में कोई सहायता प्रदान नहीं करते है । यह भी कथन किया कि अपीलांट्स ने उक्त वाद दिनांक 1.3.2017 को पेश कर दिया था इसके बावजूद अपीलांट्स ने उक्त वादपत्र एवं फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 25.1.2018 को मियाद बाहर पेश की है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 अपास्त किया जावे ।

5- हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0, धारा 5 मियाद अधि0 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

6- अपीलांट्स ने धारा 96 जा0दी0 प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों तथा अपीलांट्स द्वारा विवादित आराजियात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वाद से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.5.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7- धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स अधी0न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी के संबंध दिये गये कथन उचित प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8- प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ अपीलांट्स ने विवादित आराजियात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 19/2017 की आदेशिका एवं वादपत्र की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है । उक्त दस्तावेजात विवादित आराजियात से संबंधित होकर मूल प्रमाणित दस्तावेजात होकर प्रस्तुत प्रकरण को निर्णित करने में सहायक होने से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को पत्रावली पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है ।

9- प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि नामांतकरण संख्या 12 विवादित होने से तहसीलदार, शाहपुरा ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 19.9.1998 को आदेश पारित किया था इसलिये उक्त

आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को था ना कि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर को । अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा ने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 ने जानबूझकर अपीलांट्स को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अपील में पक्षकार नियुक्त नहीं किया तथा तथ्य छिपाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है । अधी0न्याया0 ने 18 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील में मियाद के बिन्दु को तय नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतकरण विवादित होने पर नियमित वाद से ही पक्षकारों के हक अधिकार तय किये जा सकते है । प्रकरण में जब रोडी का वाद ही निरस्त हो चुका है, जिसकी प्रति तहसीलदार, शाहपुरा के समक्ष पेश की जा चुकी है, तो अब अपंजीकृत वसीयत के आधार पर पुनः नामांतकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअदांज कर अपलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में यह भी कथन किया कि नियमित वाद के विचाराधीन इंतकाल की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये तथा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर इंतकाल नहीं खोला जा सकता है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर इंतकाल की कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार, शाहपुरा को प्रतिप्रेषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.5.2016 को अपास्त किया जावे एवं विवादित आराजियात बाबत् नामातकरण अपीलांट्स के पक्ष में पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावें । विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2003 पेज 1176, आर0आर0टी0 2003 पेज 886, आर0आर0टी0 2010 पेज 310, आर0आर0टी0 2009 पेज 500, आर0आर0टी0 2004 पेज 1140 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । xx

10- विद्वान वकील रेस्पोडेंट्स ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट्स का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है तथा ना ही अपीलांट्स ने दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित किया है उपरोक्त विवादित आराजियात में उनका कोई हक व अधिकार है, इसलिये अपीलांट्स को अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नियुक्त नहीं किया था । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात के संबंध में रोडी के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 4.5.1997 को कालू पुत्र बलदेव मीणा, निवासी खेडी जीवराजपुरा द्वारा निष्पादित की गई थी । कालू पुत्र बलदेव मीणा की मृत्यु दिनांक 17.5.1999 को हो गयी, जिससे उपरोक्त आराजी का नामांतकरण रोडी द्वारा अपने नाम कराने हेतु अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर नामांतकरण संख्या 12 भरा गया, किन्तु उक्त नामांतकरण विवादित आराजियात से संबंधित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा में

विचाराधीन होना अंकित कर दिनांक 19.9.1998 को खारिज कर दिया गया । बहस में आगे कथन किया कि रोडी की भी दिनांक 5.6.2012 को मृत्यु हो गई है तथा रेस्पो0 मृतक रोडी के वारिसान है । नामांतकरण की कार्यवाही स्वतंत्र कार्यवाही है जो राजस्व भूमियों के दायित्व निर्धारण के लिये आवश्यक है । उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में इस नामांतकरण का विपरीत प्रभाव नहीं होने वाला था क्योंकि प्रकरण में लंबित वाद में होने वाले निर्णय अनुसार बाद में कार्यवाही हो सकती थी । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि यदि वसीयत में अंकित आराजियात बाबत् उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन था तो भी तहसीलदार को नामांतकरण खारिज करने के बजाय वाद के निर्णय तक नामांतकरण की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने नामांतकरण संख्या 12 को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा विवादित आरायिजात बाबत् पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 771/99 दिनांक 17.3.2015 को अपास्त हो चुका है । अपीलांट्स ने पश्चात्वर्ती वाद संख्या 19/17 रेस्पो0 द्वारा नामांतकरण संख्या 12 के विरूद्ध अधी0न्याया0 में प्रस्तुत अपील के बाद प्रस्तुत किया है । अधी0न्याया0 ने अपंजीकृत वसीयत पर पक्षकारान को सुनकर नामांतकरण पर विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार, शाहपुरा को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे ।

11- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक रोडी ने मृतक कालू द्वारा उसके पक्ष में की गई अपंजीकृत वसीयत दिनांक 4.5.1997 के आधार पर तहसीलदार के समक्ष वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया जाने पर तहसीलदार, शाहपुरा ने नामांतकरण संख्या 12 को निर्णय दिनांक 19.9.1998 से इस आधार पर अपास्त किया कि तथाकथित वसीयत अंजीकृत है तथा विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद विचाराधीन है । विवादित भूमि के क्रम में उक्त निर्णय के उपरांत वसीयतग्रहिता रोडी का भी दिनांक 5.6.2012 को देहांत हो गया है । रेस्पो0 ने मृतक रोडी के वारिसान के रूप में तहसीलदार, शाहपुरा के समक्ष पुनः प्रार्थना पत्र संख्या 5/2015 प्रस्तुत कर वसीयत ग्रहिता के वारिसान रेस्पो0 नन्दा, सोजी पि0 छीतर, सोहनी, मकनी एवं लक्ष्मी पुत्रियां छीतर मीणा के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किये जाने का निवेदन किये जाने पर तहसीलदार, शाहपुरा ने निर्णय दिनांक 27.11.2015 द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र इस आधार पर अपास्त किया कि अपंजीकृत वसीयत की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने से पूर्व कालू पिता बलदेव मीणा के बजाय मु0 रोडी बेवा छीतर मीणा के नाम पर नामांतरकरण संख्या 12 दिनांक 5.7.1998 को भरा गया था जिसे तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.9.1998 को खारिज किया जा चुका

है । अतः ऐसी स्थिति में उक्त नामांतकरण संख्या 12 दिनांक 5.7.1998 की अपील सक्षम न्यायालय में किये जाने के उपरांत ही सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही करे । तहसीलदार, शाहपुरा के उक्त निर्णय उपरांत रेस्पो0 ने विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में नामांतकरण संख्या 12 दिनांक 19.9.1998 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है । उक्त अपील में रेस्पो0 ने अपीलांट्स को पक्षकार कायम नहीं किया जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि नामांतकरण संख्या 12 में सम्मिलित आराजियात बाबत् अपीलांट्स के द्वारा पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 771/99 उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । यद्यपि उक्त वाद दिनांक 17.3.2015 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है ।

12- न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में विवादित आराजियात के संबंध में प्रस्तुत घोषणा एवं बेदखली के वाद संख्या 19/2017 की आदेशिका एवं वादपत्र की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की है। उक्त आदेशिकाओं एवं वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वादपत्र में लिप्त आराजियात एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में लिप्त आराजियात एवं पक्षकारान समान है । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि अपीलांट्स, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, को प्रकरण में पक्षकार नियुक्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांट्स को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निर्णय तो वाद में बाद साक्ष्य ही निर्धारण हो सकेगा किन्तु तब तक विवादित भूमि के संबंध में विचाराधीन वाद के रहते यदि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर रेस्पो0 के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किया जाता है तो और अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि नियमित वाद के विचाराधीन रहते इंतकाल की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर तहसीलदार, शाहपुरा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि पक्षकार को अपंजीकृत वसीयत पर सुनकर विधिसम्मत् निर्णय पारित करे । यद्यपि राजस्थान राज्य में वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है किन्तु वसीयत को लेकर विवाद होने की स्थिति में अपंजीकृत वसीयत को साक्ष्य वगैरह से प्रमाणित करवाये बिना/ सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना वसीयग्रहिता के वारिसान रेस्पो0 किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है । अपीलांट्स ने भी दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं किया है कि वे किस प्रकार विवादित आराजियात के मूल खातेदार के वारिसान है, तथा ना ही इस संबंध सजरा वगैरह प्रस्तुत किया है । हम अपीलांट्स अभिभाषक के इस कथन से भी सहमत है कि तथाकथित नामांतकरण संख्या 12 विवादित होने से, की प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर के यहां नहीं होकर न्यायालय हाजा में होनी

चाहिये थी । अतः अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय भी क्षैत्राधिकार से बाहर है । अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद साबित नहीं होने तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयत साबित नहीं होने की स्थिति में क्या विवादित आराजियात लावारिस घोषित किये जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 30.5.2016 को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.5.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण तहसीलदार, शाहपुरा को प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 112/2016 (2016/00101) बउनवानी हरलाल बनाम नन्दलाल व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 2/2016 बउनवान रोडी बेवा छीतर बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.5.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, शाहपुरा को इन निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतितप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि विवादित आराजियात के संबंध में पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में विचाराधीन घोषणात्मक एवं बेदखली के वाद संख्या 19/2017 में होने वाले निर्णयानुसार प्रकरण को निर्णित करे एवं तब तक प्रश्नगत आराजियात बाबत् राजस्व रिकार्ड में विवादित का नोट अंकित करे । तहसीलदार को यह भी निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकारान के असफल रहने एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयत सक्षम स्तर से प्रमाणित/प्रोबेट नहीं होने की स्थिति में विवादित आराजियात को राजगामी घोषित किये जाने के संबंध में संबंधित नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 8.2.2018को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर